



प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक: 25 जून, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी मनोज गुर्जर पुत्र श्री धनपाल सिंह, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की फार्म-ए/लार्डसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-25779/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-13.06.2025) दिनांक-25-06-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी मनोज गुर्जर पुत्र श्री धनपाल सिंह, जो ग्राम-खनौदा, थाना-औरंगाबाद, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। प्रथम केस में ग्राम प्रधानी के चुनावी की रंजिश को लेकर दिनांक 09.05.2006 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर देशी पिस्टल से गोली मारकर तेजपाल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। द्वितीय केस में अवैध सम्बन्धों की रंजिश को लेकर दिनांक 08/09.07.2007 को बन्दी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपहरण एवं हत्या करने के उद्देश्य से अवैध सभा गठन किया और अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में हत्या करने के लिए रनवीर का उसके घर से अपहरण किया तथा उसकी हत्या कारित की तथा उसी स्थान पर प्रकाश की भी हत्या कारित की गई। शरीरों के साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से निकट स्थल पर रखे भित्ती में डालकर जला दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) एस०टी नं०-736/2006 में भा०द०वि० की धारा-302/34 में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-01, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 06.10.2008 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। (2) एसटी नं०-1290/2007, भा०द०वि० की धारा-302/149, 364/149, 201, 147 में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/न्याय० सं०-०९, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 07.04.2010 द्वारा मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 09.09.2013 को बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा प्रथम केस में दिनांक-11.05.2022 तक अपरिहार 14 वर्ष, 01 माह, 29 दिन तथा सपरिहार 14 वर्ष, 01 माह, 29 दिन तथा द्वितीय केस में दिनांक-10.12.2021 तक अपरिहार 14 वर्ष, 04 माह, 26 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 01 माह, 29 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि० एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, भविष्य में अपराध करने की घटना से इंकार नहीं किये जाने, पूर्व में किये गये अपराध के कारण पुनः अपराध कारित किये जा सकने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि 1-ग्राम प्रधानी के चुनाव की रंजिश को लेकर दिनांक 09.05.2006 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर देशी पिस्टल से गोली मारकर तेजपाल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। 2-अवैध सम्बन्धों की रंजिश को लेकर दिनांक 08/09.07.2007 को बन्दी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपहरण एवं हत्या करने के उद्देश्य से अवैध सभा गठन किया और अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में हत्या करने के लिये रनवीर का उसके घर से अपहरण किया तथा उसकी हत्या कारित की तथा उसी स्थान पर प्रकाश की भी हत्या कारित की गई। शरीरों के साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से निकट स्थल पर रखे भिटौरे में डालकर जला दिया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मनोज गुर्जर पुत्र श्री धनपाल सिंह को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मनोज गुर्जर (बन्दी संख्या-16782) पुत्र श्री धनपाल सिंह, निवासी जनपद-बुलन्दशहर को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाईसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-818/2026/1333(1)/22-2-2025 तददिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।
- 2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
- 3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

दिनांक: 25 जून, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी मनोज गुर्जर पुत्र श्री धनपाल सिंह, जो ग्राम-खनौदा, थाना-औरंगाबाद, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। प्रथम केस में ग्राम प्रधानी के चुनावी की रंजिश को लेकर दिनांक 09.05.2006 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर देशी पिस्टल से गोली मारकर तेजपाल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। द्वितीय केस में अवैध सम्बन्धों की रंजिश को लेकर दिनांक 08/09.07.2007 को बन्दी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपहरण एवं हत्या करने के उद्देश्य से अवैध सभा गठन किया और अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में हत्या करने के लिए रनवीर का उसके घर से अपहरण किया तथा उसकी हत्या कारित की तथा उसी स्थान पर प्रकाश की भी हत्या कारित की गई। शरीरों के साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से निकट स्थल पर रखे भिटौरों में डालकर जला दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) एस०टी नं०-736/2006 में भा०द०वि० की धारा-302/34 में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-01, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 06.10.2008 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। (2) एसटी नं०-1290/2007, भा०द०वि० की धारा-302/149, 364/149, 201, 147 में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/न्याय० सं०-०९, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 07.04.2010 द्वारा मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 09.09.2013 को बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा प्रथम केस में दिनांक-11.05.2022 तक अपरिहार 14 वर्ष, 01 माह, 29 दिन तथा सपरिहार 14 वर्ष, 01 माह, 29 दिन तथा द्वितीय केस में दिनांक-10.12.2021 तक अपरिहार 14 वर्ष, 04 माह, 26 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 01 माह, 29 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि० एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, भविष्य में अपराध करने की घटना से इंकार नहीं किये जाने, पूर्व में किये गये अपराध के कारण पुनः अपराध कारित किये जा सकने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि 1-ग्राम प्रधानी के चुनाव की रंजिश को लेकर दिनांक 09.05.2006 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर देशी पिस्टल से गोली मारकर तेजपाल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। 2-अवैध सम्बन्धों की रंजिश को लेकर दिनांक 08/09.07.2007 को बन्दी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपहरण एवं हत्या करने के उद्देश्य से अवैध सभा गठन किया और अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में हत्या करने के लिये रनवीर का उसके घर से अपहरण किया तथा उसकी हत्या कारित की तथा उसी स्थान पर प्रकाश की भी हत्या कारित की गई। शरीरों के साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से निकट स्थल पर रखे भिटौरों में डालकर जला दिया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का

सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मनोज गुर्जर पुत्र श्री धनपाल सिंह को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।